न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– धारा सिंह मीणा, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 14/2018/अपील

रतनलाल पुत्र त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 हरफूल पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

2 भूमि धारक तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध बंटवारा आदेश कमांक भू.अ./14/631 दिनांक 26.02.2014 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर

वकील अपीलांट श्री सुरजभानसिंह

निर्णय **दिनांकः–08.09.2021**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि वाकै ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 2318 ता 2220, 2330 ता 2333, 2333/3908, 2334, 2335, 2336, 2343 ता 2350 कुल किता 19 कुल रकबा 13.13 हैक्टर जिसकी खातेदारी निम्न प्रकार से हैः–

पक्षकार	हिस्सा	हिस्से के अनुसार रकबा
अपीलांट	1/6	2.1883 हैक्टर
रेस्पोडेन्ट	1/6	2.1883 हैक्टर

एवं भूमि खसरा नम्बर 2327 ,2328, 2329, 2329/3910 कुल किता 4 कुल रकबा 2.18 हैक्टर में रेस्पोडेन्ट हरफूल, धन्नाराम व नन्दाराम का बहिस्सा बराबर था। उक्त भूमियों का अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट ने सहमति से विभाजन हेतु तहसीलदार दांतारामगढ के यहां विभाजन का आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें सहवन से अपीलान्ट का हिस्सा 17/86 होना चाहिए था के स्थान पर 85/516 एवं रेस्पोडेन्ट का हिस्सा 85/516 होना चाहिए के स्थान पर 17/86 कर दिया जिससे अपीलान्ट की भूमि कम हो गई व रेस्पोडेन्ट की भूमि का रकबा बढ़ गया। प्रश्नगत भूमियों में मात्र भूमि खसरा नम्बर 2334 रकबा 2.07 हैक्टर में से मात्र 2.01 हैक्टर भूमि का रकबा रेस्पोडेन्ट धन्नाराम को अलग करवाने के लिये प्रस्तुत किया गया, प्रश्नगत भूमियों में उक्त रकबा 2.01 हैक्टर अकेले रेस्पोडेन्ट धन्नाराम के नाम से होने पर शेष भूमियाँ 11.12 हैक्टर मे अपीलान्ट रतनलाल 17/86 रेस्पोडेन्ट हरफूल 85/516 खातेदारी निम्नानुसार होनी चाहिए थी। अपीलान्ट के प्रस्तुत बंटवारे से पूर्व कुल रकबा 13.13 हैक्टर में से 1/6 हिस्सा था, जिसके हिसाब से 2.1883 हैक्टर भूमि बनती थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हरफूल का भी 1/6 हिस्सा ही था उसके भी 1/6 हिस्से 2. 1883 हैक्टर भूमि ही बनती थी, सहमति बंटवारे के बाद 13.13 हैक्टर भूमि में से 2.01 हैक्टर भूमि अकेले धन्नाराम के हिस्से में आ जाने (13.13 हैक्टर–20.01) 11.12 हैक्टर शेष रही जिसमें पूर्व के हिस्से के अनुसार भूमि हिस्से में 17/86 हैक्टर अपीलान्ट के नाम से

अति. जिला कलक्टर, सीकर

होना चाहिए व रेस्पोडेन्ट 85/516 का हिस्सा होना चाहिए लेकिन भूलवश अपीलान्ट का हिस्सा 17/86 के स्थान पर 85/516 व रेस्पोडेन्ट 85/516 के स्थान स्थान 17/86 कर दिया जिससे अपीलान्ट की 03566 जमीन कम हो गई एवं रेस्पोडेन्ट की भूमि का 0.3366 रकबा बढ गया, जबकि बंटवारे के जरिये रकबा कम ज्यादा नहीं किया जा सकता है। हरफूल, नन्दाराम, धन्नाराम के खाता संख्या 349 में कुल किता 13 कुल रकबा 13.13 हैक्टर में 1/6 हिस्से के अनुसार 2.18 हैक्टर एवं खाता संख्या 350 में कुल किता 4 कुल रकबा 2.18 हैक्टर में 1/3 हिस्से के अनुसार 0.7266 हैक्टर कुल 2.9066 हैक्टर भूमि प्रत्येक के हिस्से मे आती है लेकिन प्रस्तुत बंटवारे के अनुसार रेस्पोडेन्ट के 85/516 1.83 हैक्टर जोड़ 1.09 बराबर 2.92 हैक्टर एवं 85/516 आनी चाहिए थी। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.02.2014 को क्रमांक भू.अ. /14/631 को हुआ बंटवारा एवं उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 2962 दिनांक 06. 05.2014 में अंकित अपीलांट का हिस्सा 85/516 हिस्से के स्थान पर 17/86 एवं रेस्पोडेंट के 17/86 हिस्से के स्थान पर 85/516 किया जावे अन्यथा सहमति बंटवारे को अपास्त फरमाया जावे।

पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई एवं रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। रेस्पो. अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस पेश की गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से भूमि खसरा नम्बर 2318 ता 2220, 2330 ता 2333, 2333/3908, 2334, 2335, 2336, 2343 ता 2350 कुल किता 18 कुल रकबा 13.13 हैक्टर में अपीलांट का 1/6 हिस्सा रकबा 2.1883 है0 व रेस्पो. का 1/6 हिस्सा रकबा 2.1883 है0 व भूमि खसरा नम्बर 2327, 2328, 2329, 2329/3910 कुल किता 4 कुल रकबा 2.18 है0 में रेस्पो. का 1/3 हिस्सा रकबा 0.7266 है0 अंकित है। बंटवारा आदेश के मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 2318 ता 2220, 2330 ता 2333, 2333/3908, 2334, 2335, 2336, 2343 ता 2350 कुल किता 18 कुल रकबा 13.13 हैक्टर में से भूमि खसरा नम्बर 2334 रकबा 2.07 है0 में से 2. 01 है0 भूमि अकेले धन्नाराम के नाम से अंकित है। बंटवारे के अनुसार 13.13 है0 भूमि में से 2.01 है0 भूमि अकेले धन्नाराम के हिस्से में दर्ज हो जाने से शेष रकबा 11.12 है0 में अपीलांट का 85/516 व रेस्पो का 17/86 हिस्सा अंकित कर दिया गया। बंटवारा के मुताबिक अपीलांट का उपरोक्त आराजियात में 1/6 हिस्सा के मुताबिक 85/516 एवं रेस्पो. का 17/86 हिस्सा दर्ज कर अपीलांट का हिस्सा 85/516 के अनुसार 0.35 है0 कम कर दिया गया एवं रेस्पो. का हिस्सा 17/86 के अनुसार 0.35 है0 बढ़ा दिया गया। जबकि उपरोक्त आराजियात में अपीलांट का हिस्सा 85/516 के स्थान पर 17/86 एवं रेस्पो. का हिस्सा 17/86 के स्थान पर 85/516 अंकित किया जाना चाहिए था। उक्त बंटवारा के मुताबिक अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया जो न्याय संगत नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के मुताबिक अपील अपीलांट न्यायहित में स्वीकार की जाकर अपीलाधीन बंटवारा आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार दांतारामगढ़ को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बंध में बंटवारे की विधिसम्मत जांच कर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पुनः बंटवारा आदेश पारित कर नियमानुसार निर्णय करें।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धारा सिंह मीणा)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर